संख्याः 487 /I/2006-04(1)/27/05

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला तैक अनुभाग,
उत्तरांचल शासन।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को मनेरी भाली–द्वितीय परियोजना के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1165(II)/I/2006-04(1)/27/05 दिनांक 28.03.2006 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को मद संख्या 16 में से रु0 11.46 करोड़ की धनराशि परियोजनाओं की तैयारी हेतु व्ययों को वहन के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को रु0 11.46 करोड़ के स्थान पर रु0 11.31 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने के संशोधित आदेश किए जाते हैं।

शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। इस शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः /I/2006-04(1)/27/05, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून को दो प्रति सहित।
3– निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उक्त शासनादेश संख्या 2866, दिनांक 21–6–2005 के संलग्न में इंगित 04 परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तथा परियोजना की तैयारी हेतु व्ययों के वहन के लिए करने का कष्ट करें इस धनराशि का इन 04 परियोजनाओं पर व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3374/1/ 2005–04(1)/27/05,दिनांक 20–7–05 की शर्तें प्रभावी होंगी जिनके अनुसार ही सम्बन्धी धनराशि उपभोग की जायेगी। साथ ही शासनादेश संख्या 3374,दिनांक 20–7–05 से निर्गत धनराशि के सापेक्ष बचतों को भी समायोजन के माध्यम से शासनादेश संख्या 2866,दिनांक 21–6–2005 के संलग्नक में इंगित 04 परियोजनाओं के माध्यम से परियोजना रिपोर्ट तथा परियोजना की तैयारी हेतु व्ययों से वहन के लिये किया जायेगा।
5– वित्त अनुभाग–2,
6– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव